न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्याः 22/2014
रज्जु दिनांकः 09/06/2014
निर्णय दिनांक : 23/02/2017

फूला धर्मपत्नि रामनारायण जाति जाट, निवासीः कठमाणा, तहसील पीपलू, जिला टोंक।

——प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील फागी।
2. लादू पुत्र जग्गा
3. रामधन पुत्र जगदीश
4. सीताराम पुत्र जगदीश
5. अमरी पत्नि जगदीश
6. हरिराम पुत्र श्योनाथ
   समस्त जाति जाट, निवासीः कठमाणा, तहसील पीपलू, जिला जयपुर।
7. उप तहसीलदार/सब रजिस्ट्रार माधोराजपुरा, जिला जयपुर।

——अप्रार्थीगण

स्थगन प्रार्थना पत्र

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. इस आशय का प्रस्तुत किया कि उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18.06.2013 को निर्णय हो चुका है। न्यायालय द्वारा पालना हेतु तहसीलदार फागी पत्र भेज चुका है तहसीलदार फागी द्वारा नायब तहसीलदार माधोराजपुरा तरमीम दुरूस्ती वास्ते पत्र भेज चुके है नायब तहसीलदार माधोराजपुरा ने पटवार हल्का, गिरदावर हल्का को न्यायालय एस.डी.ओ साहब के आदेश की पालना में पत्र भेज चुके है इनके बाद फुला ने संभागीय आयुक्त जयपुर को अपील कर दी गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त ने तरमीम के आदेश एस.डी.ओ

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

फागी को यथावत रखा गया है। बाद में राजस्व मंडल अजमेर में अपील दायर की, राजस्व मंडल अजमेर ने भी स्थगन को खारिज कर दिया है। बाद में न्यायालय एस.डी.ओ में दुसरी बार भी मुकदमा दर्ज उक्त प्रकरण का करवाया जिनको न्यायालय द्वारा दिनांक 22.5.14 को खारिज फरमा दिया। यह व्यक्ति परेशान करने के लिये तीसरी बार दावा दिनांक 03.06. 2014 को कर दिया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी पर दिये गये स्टे ऑर्डर को खारिज फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी, जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी, वाद पत्रावली इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन मैने यह पाया कि प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य आराजीयात की नक्शे में तरमीम नहीं होने से विवाद है। पक्षकारान के मध्य विवाद न बढे इस कारण खसरा नंबर 1262/2, 1463/1262, 1462/1262 पर स्थगन आदेश जारी किये हुये है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नंबर 1462/1262 से स्थगन आदेश खारिज करवाना चाहा है।

प्रार्थी के अनुतोष पर मनन किया गया। बाद मनन यह पाया कि पक्षकारान के मध्य सीमा विवाद है यदि अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर खसरा नंबर 1462/1262 से स्थगन हटाया जाता है तो इससे प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित हो सकती है। न्यायहित में मेरे द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23/02/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)